क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8.8.2022	पत्रावली पेशगी। पक्षकारान वकील उपस्थित है। वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर पक्षकारान की सुनवाई व प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। वादग्रस्त आराजी (वादी की पैतृक सम्पत्ति है) वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हक एवं सिरे का खातेदार कब्जेदार होकर काबिज होने का अधिकारी है। जबकि सही स्थिति यह है कि पक्षकारान जाति से मुस्लिम है। पक्षकारों पर मुस्लिम विधि के प्रावधान लागू होते है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति के कोई प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि नहीं है। पिता के जीवनकाल में पुत्र का कोई हिस्सा नहीं होता है। वादी को वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वादी का दावा बाउण्डरी लॉ होने के कारण काबिले स्वीकार योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 रशीदखाँ से काफी पूर्व खातेदार रहिया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से भूमि खरीदी थी और रहिया से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.5.15 को भूमि खरीदी और भूमि खरीदने के बाद से प्रतिवादी संख्या 02 व [illegible] काबिज काश्तकार [illegible] है इसलिए [illegible] में न्यायालय में पूर्व में भी हुए वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के बीच में सद्भाव बनाए रखने के कारण से

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	मुकदमा नम्बर 110/2015 प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 को दावा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार कर वादी का वाद निर्णीत कर दिया जिसकी भी वादी ने कोई अपील नहीं की। वाद निर्णय व डिक्री आज भी बहाल है। वादी वाद को छिपाते हुए इसी वाद भूमि के सम्बन्ध में इस वाद बिन्दु पर इन्हीं पक्षकारों के खिलाफ पेश किया गया है जो धारा 11 सी.पी.सी. रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है। वादी वादों को छिपाकर एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पुनः सहपेश करके वंशपैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुस्लिमों पर लागू नहीं होने एवं बिना विक्रय पत्रों को रजिस्टर करवाये बिना उन्हें सुनने का अधिकार न्यायालय को नहीं होने के कारण प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय के अनुसार डिक्री भी हो। पत्रावली वाद तकमील में खिलाफ हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू

CamScanner